INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP29557981188721X

VIVEK CHAUDHARY
M. : 8130346011

SUMIT BANSAL
LICENCE NO. 351
TEHSIL, GHAZIABAD

Certificate No.	:	**IN-UP29557981188721X**
Certificate Issued Date	:	08-May-2025 12:15 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14070604/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14070604560682607549 57X
Purchased by	:	BRAHMPAL SINGH CHARITY TRUST
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BRAHMPAL SINGH CHARITY TRUST
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	BRAHMPAL SINGH CHARITY TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

DOCUMENT SCANED

सत्यमेव जयते

Verified By
R.C.
Sadar - Ist, Ghaziabad

Locked By
Sub-Registrar
Sadar - Ist, Ghaziabad

IN-UP29557981188721X

Please write or type below this line

YASHPAL YADAV

PF 0009800439

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

दिनांक: 5/8/2025

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

पूर्व रजिस्ट्रीकरण विवरण

आवेदन संख्या: 202500739039801 जनपद: गाजियाबाद तहसील: गाजियाबाद उप निबंधक: सदर प्रथम

संपत्ति का विवरण	:	**मोहल्ला/गाँव :** **वार्ड/परगना :** **संपत्ति का विवरण :** भवन नं0-220 मुंशी हरपाल सिंह कालोनी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।, 0 , पूर्व-, पश्चिम-, उत्तर-, दक्षिण-
अभिलेख प्रकार	:	न्यास पत्र
प्रथम पक्ष	:	
द्वितीय पक्ष	:	
निष्पादन तिथि	:	08-05-2025
निबंधन शुल्क	:	100 (नगद)
स्टाम्प मूल्य	:	₹ 1000 **ई-स्टाम्प सं0**
वास्तविक बाज़ारी मूल्य	:	₹ 0.00
प्रतिफल	:	₹ 10000

मैं/हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि इस ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां संबंधित लेखपत्र में निहित तथ्यों के अनुरूप हैं।

मैं आधार धारक, इसके द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश को मेरे आधार नंबर को ई.के.वाई.सी. एवं पहचान के सत्यापन के लिए अपने अंगूठे के स्कैन के माध्यम से यू.आई.डी.ए.आई. को मेरे आधार नंबर, बायोमैट्रिक आदि का उपयोग करने की सहमति देता हूं। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने मुझे सूचित किया है कि मेरा आधार नंबर और साथ ही बायोमेट्रिक को संग्रहित/ साझा नहीं किया जाएगा और संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया में मदद करने के लिए केवल मेरी पहचान सत्यापन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

YASHPAL YADAV

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)

निबंधन लिपिक
सदर प्रथम,जनपद गाजियाबाद

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
सदर प्रथम,जनपद गाजियाबाद

न्यास पत्र

मै न्यासकर्ता यशपाल यादव पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह यादव पता 220, मुशी हरपाल सिंह कालोनी, ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद का निवासी हूँ, जिन्हे आगे चलकर व्यवस्थापक / न्यासी / ट्रस्टी कहा गया है।

आधार नं० 5754 98757606

(यह संशोधित ट्रस्ट विलेख दिनांक-17/03/2020 को पंजीकृत हुयी ट्रस्ट डीड- "ब्रहमपाल सिंह चैरिटी ट्रस्ट मुख्य कार्यालय भवन न० 220, मुशी हरपाल सिंह कालोनी, ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद " जिसका निबंधन/पंजीकरण आवेदन संख्या-202000739025912 पर उपनिबंधकः सदर प्रथम, गाजियाबाद के कार्यालय से बही संख्या-4, रजिस्ट्रेशन नसं०-957 जिल्द संख्या-1308 के पृष्ठ 1 से 34 तक क्रमांक 957 पर दि0 17/03/2020 में पंजीकृत कराया गया है। यह संशोधित ट्रस्ट डीड भी उसी का अंश पढ़ा व समझा जायेंगा।)

ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग दि० 12/04/2022 में सर्वसम्मति से ट्रस्ट बोर्ड के व्यवस्थापक/न्यासी/ट्रस्टी स्वः ब्रहम पाल सिंह जी के देहान्त दि० 15/03/2022 में होने के उपरान्त श्री मानव यादव पुत्र श्री यशपाल यादव पता- म०न०- 220, शाहपुर बम्हैटा, एनएच-24, निकट लॉर्ड कृष्णा फार्म हाउस के पास, गाजियाबाद-201001 उ०प्र० को ट्रस्टी बनाया गया था व श्री दिनेश यादव ट्रस्ट उपाध्यक्ष व श्रीमती अलका यादव -सयुक्त सचिव के त्याग पत्र स्वीकृत करते हुये ट्रस्ट बोर्ड का पुर्नगठन करते हुये 1- श्री यशपाल यादव -अध्यक्ष, 2- श्रीमती सुमन यादव- सचिव, 3- श्री मानव यादव- कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट बोर्ड के संचालन हेतु नियुक्त किये गये थे व श्री यशपाल यादव जी को व्यवस्थापक ट्रस्टी घोषित किया गया था। ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग दि० 02/04/2025 दवारा दि० 12/04/2022 में हुये ट्रस्ट बोर्ड के परिर्वतन / संशोधन को ट्रस्ट विलेख के रूप में निष्पादित कर उप निबंधक, सदर प्रथम गाजियाबाद के दवारा रजिस्ट्रीकृत कराने का निर्णय लिया गया था।

YASHPAL YADAV

आवेदन सं०: 202500739039801

न्यास पत्र

वर्ष: 2025

रजिस्ट्रेशन स०: 324

बही स०: 4

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री ब्रहमपाल सिंह चैरिटी ट्रस्ट द्वारा
यशपाल यादव अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह यादव
व्यवसाय : अन्य
निवासी: 220 मुंशी हरपाल सिंह कॉलोनी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

YASHPAL YADAV

यशपाल यादव अधिकृत पदाधिकारी/
प्रतिनिधि

श्री, ब्रहमपाल सिंह चैरिटी ट्रस्ट द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 08/05/2025 एवं 04:48:06 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विनीत कुमार प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
गाजियाबाद
08/05/2025

भीम रतन
निबंधक लिपिक
08/05/2025

उप निबंधक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश
सत्यमेव जयते

ट्रस्ट संचालन हेतु सभी आवश्यक शर्ते/डिक्लेयरेशन ऑफ ट्रस्ट/न्यास के सम्बन्धं में मेरे मस्तिष्क एंव मन में आयी है उनको दायराये तहरीर में लाया जा रहा है।

संशोधित ट्रस्ट विलेख निम्नवत् है-

उक्त न्यास की स्थापना अंकन 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) की लागत से की है। उक्त न्यास में वर्तमान में ट्रस्टीयो की संख्या 3 है, जो निम्नलिखित है-

1- श्री यशपाल यादव पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह यादव निवासी 220, मुशी हरपाल सिंह कालोनी, ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

आधार - 5754 9875 7606 (अध्यक्ष)

2- श्रीमति सुमन यादव पत्नी श्री यशपाल यादव निवासी 220, मुशी हरपाल सिंह कालोनी, ग्राम शाहपुर बम्हैटा, परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

आधार -7071 2245 5890 (सचिव)

3- श्री मानव यादव पुत्र श्री यशपाल यादव पता- म०न०- 220, शाहपुर बम्हैटा, एनएच-24, निकट लॉर्ड कृष्णा फार्म हाउस के पास, गाजियाबाद-201001 उ०प्र०

आधार -5771 1529 2975 (कोषाध्यक्ष)

1- यह कि उक्त ट्रस्ट/ न्यास का नाम ब्रहमपाल सिंह चैरिटी ट्रस्ट होगा।

2- यह कि उक्त ट्रस्ट/ न्यास का मुख्य कार्यालय भवन न० 220, मुशी हरपाल सिंह कालोनी, ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद होगा, परन्तु ट्रस्टी / न्यासी को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट / न्यास का कार्यालय कही पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते है।

3- यह कि ट्रस्ट/न्यास उक्त रकम अकन 10,000/- रूपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति नगद राशी, निवेश दान, ऋण अथवा अनुदान से प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशी जो उक्त ट्रस्टी को समय समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे

YASHPALYADAV

आवेदन सं०: 202500739039801

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 324 वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री ब्रहमपाल सिंह चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा यशपाल यादव, पुत्र श्री ब्रहमपाल सिंह यादव

निवासी: 220 मुंशी हरपाल सिंह कॉलोनी ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य YASHPAL YADAV

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रवित यादव, पुत्र श्री उदन सिंह यादव

निवासी: 200 ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री दीपांशू चौधरी, पुत्र श्री विनोद चौधरी

निवासी: ग्राम सादिकपुर ऊर्फ काजीपुरा परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद।

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

विनीत कुमार प्रभारी
उप निबंधक :सदर प्रथम
गाजियाबाद
08/05/2025

भीम . रतन
निबंधक लिपिक गाजियाबाद
08/05/2025

तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टी आगे दी गई शक्तियो और कर्तव्यो को प्रयोग व अनुपालन करते हुए धारण करेंगे।

4- यह कि ट्रस्टी फण्ड तथा ट्रस्टी पूजी तथा अन्य चल व अचल सम्पतियो को धार्मिक संर्वधन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था आदि के कार्य करने हेतू धारण करेंगे तथा न्यासी को समय समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यो में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5- यह कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिये न्यासी को समय समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओ, व्यक्तियो या विभागो से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

6- यह कि उपरोक्त उददेश्यो के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रगतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टी ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उददेश्यो में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा मे चाहे सर्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते है।

6.1- यह कि स्कूल, कॉलिज, तकनीकी एव प्रबन्धन शिक्षण संस्थाओ की स्थापना एवं संचालन करना।

6.2- यह कि स्कूल (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलो तथा प्रशिक्षण कॉलिज की स्थापना व संचालन करना।

6.3- यह कि शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतू हेतु क्रेच, प्ले-वे स्कूल, प्री-नर्सरी, नर्सरी, डे-केयर, बोर्डिग स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालिज, महाविधालय, उच्चमहाविधालय, पी.जी.डिप्लोमा, उच्च शिक्षण संस्थानो, तकनीकि, औद्योगिकी, प्रोद्योगिकी, आई.टी.आई., मैनेजमेंट, मेडिकल, पैरामेडिकल एंव प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जैसे ला-कालिज, मास कम्यूनिकेशन, डेल्टल, फिजियोथेरेपी, फार्मा, बी.एड., डी.एड., फिजिकल एजूकेशन, लायब्रेरियन, फारन लैग्वेज कोर्स आदि सभी प्रकार के पाठ्यक्रमो

YASHPALYADAV

का संचालन करना। युवाओ व छात्र-छात्राओ को सेन्य सेवाओ में भर्ती के लिये प्रेरित करना व इस हेतु उनका मार्गदर्शन/कैरियर काउसलिंग करना व शारिरिक, शेक्षिणिक प्रशिक्षण हेतु कोचिंग सेन्टर/ प्रशिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना कर संचालन करना व आर्मी स्कूल के पेट्रन पर शिक्षण प्रशिक्षण हेतु विधालय व बोर्डिग की स्थापना करना, सैन्य शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो, यूनिटो का संचालन करना। व्यवस्था हेतु पाठ्यक्रमो का संचालन एंव सभी प्रकार के आॅनलाईन-डिस्टेंस शैक्षिणिक पाठ्यक्रमो के अन्त्तगत सम्बन्धित शैक्षिणिक संस्थान/शिक्षा विभाग/ बोर्ड/विश्वविधालय/ शासन- प्रशासन/ राज्य एंव केन्द्र सरकार/मंत्रालय आदि से मान्यता प्राप्त कर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री आदि प्रमाण पत्र प्रदान करना।

6.4- यह कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओ के लिये छात्रवृत्ति व शिक्षण शुल्क सहायता आदि प्राप्त करना तथा सरकार से प्राप्त करके बच्चो को देना।

6.5- यह कि ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना, ट्रस्ट द्वारा क्रय की गई भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।

6.6- यह कि ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उददेश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना व दान की रसीद देना।

6.7- यह कि वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।

6.8- यह कि शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतू सभी प्रयास करना तथा शिक्षा के लिये जागृत करने हेतू कार्यक्रम चलाना।

7- यह कि ट्रस्ट/न्यास का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

YASHPAL YADAV

8- यह कि न्यासी को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासी चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उददेश्यो के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. यह कि न्यासी ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागो को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टी उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते है।

10. यह कि ट्रस्टी/व्यवस्थापक को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यो के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ही ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर ट्रस्ट की सम्पत्तियो पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार नही होगा।

11. यह कि प्रत्येक न्यासी / ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारियो का नामाकन कराया जायेगा जो कि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यू होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर न्यासी / ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी / ट्रस्टी होगा तथा नवनियुक्त ट्रस्टियो को एतदद्वारा नियुक्त ट्रस्टो के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।

12. यह कि मुख्य व्यवस्थापक / मुख्य ट्रस्टी ने ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने हेतू अपने में से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध् यक्ष नियूक्त कर लिया है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्ट बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियो व ट्रस्टी का कार्यकाल एक वर्ष का होगा तथा समय से पहले भी मुख्य न्यासी अध्यक्ष व सचिव बाकी पदाधिकारियो को उनके पद से हटा सकता है। निवर्तमान पदाधिकारीयो का चयन कर सकते है। व्यवस्थापक न्यासीगण व अन्य सदस्य अपनी इच्छानुसार समय से पहले भी अपने पद से त्याग पत्र दे सकते है।

YASHPAL YADAV

13. यह कि अध्यक्ष को ट्रस्ट की सभी बैठको की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारू रूप से संचालन करने के लिये सचिव का निर्देश व सहयोग प्रदान करना, ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

14. यह कि उपाध्यक्ष को अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैद्य होगा जिनका अनुमोदन अध्यक्ष से करा लिया जायेगा।

15 यह कि सचिव को ट्रस्ट की बैठको में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशो को कार्यरूप से परिणित करना। ट्रस्टके दैनिक कार्यकलाप को सुचारू रूप से संचालित करना। सभी बैठको की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित करना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नहल सभी ट्रस्टीयों को भेजना। ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय को सत्यापित कर कोषाध्यक्ष से अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियो का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

16 यह कि उपसचिव को सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

17. यह कि कोषाध्यक्ष को ट्रस्ट की समस्त आय व व्यय का हिसाब रखना व उसको आडिट कराना। ट्रस्ट की समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हो उनको अनुमोदित कर भगतान कराना। ट्रस्ट के खातो का संचालन सुयुक्त रूप से अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा होगा या उनमें से दो पदाधिकारियो द्वारा होगा।

18. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्तवपूर्ण कार्य जैसे-न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करो से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्तवपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक

YASH PAL YADAV

अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं सर्वसम्मति से निर्णय होने के उपरान्त अध्यक्ष अपना आदेश प्रदान करेंगे।

19. यह कि अध्यक्ष व सचिव आपसी सहमति से किसी को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उददेश्यो में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा।

20. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी। ट्रस्ट की बैठक ट्रस्ट कार्यालय में होगी। परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहां ट्रस्टी उचित समझे बैठक बुलाने का अधिकार होगा।

21. यह कि ट्रस्टीगण को ट्रस्ट तथा उसके उददेश्य से सम्बन्धित कार्य हेतू किसी भी एजेन्ट, जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियूक्त करने तथा उसे निराशी अदा करने अधिकार होगा।

22. यह कि ट्रस्टीगणो को उक्त ट्रस्ट के उददेश्यो की पूर्ति हेतू तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियो, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।

23. यह कि एतद द्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसहरणीय होगा। परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पतियो को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियो का भुगतान करने के पश्चात ट्रस्ट का विघटन कर सकते है तथा इसके पश्चात जो भी लाभ या हानि होगी वो ट्रस्टीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

YASHPAL YADAV

24. यह कि ट्रस्ट / न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन रहेंगे।

25. यह कि वर्तमान में ट्रस्ट के पास अपनी कोई निजी चल या अचल सम्पत्ति नही है।

26. यह कि यह ट्रस्ट चैरिटेबल है।

27. अन्य शर्ते-

1- ट्रस्ट/न्यास के उद्दश्यों हेतु किसी भी व्यक्ति, परिवार, फर्म (सरकारी अनुदान संस्था सहित) ट्रस्ट/न्यास आदि से चल-अचल सम्पत्ति के रूप में सहयोग प्राप्त करना।

2- ट्रस्ट/न्यास के कोष की आय अथवा संग्रहित धनराशि को पूर्ण या आंशिक रूप से ट्रस्ट/न्यास के किसी भी उद्देश्य के लिये पृथक रखना।

3- ट्रस्ट/न्यास किसी व्यक्ति, संस्था आदि से दान, चंदा तथा किराया आदि किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि को वसूल करने हेतु प्रतिनिधि या कर्मचारी नियुक्त कर सकता है।

4- न्यास की सभा में प्रस्ताव पारित करके किसी ट्रस्ट/न्यासी द्वारा अपने अधिकार के अनुरूप व्यय की गयी उचित धनराशि की ट्रस्ट/न्यास द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

5- ट्रस्ट/न्यासी सदस्य, जो कोष व राशि वास्तव में उसके हाथ में आयेगी, उसका लेखा जोखा रखेगें।

YASHPAL YADAV

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ट्रस्टी श्री यशपाल यादव ने अपने हस्ताक्षर किये।

YASHPAL YADAV

गवाह– रवित यादव पुत्र श्री उदन सिंह यादव

निवासी 200, ग्राम शाहपुर बम्हैटा परगना डासना

तहसील व जिला गाजियाबाद।

आधार नं0 **XXXX XXXX 1097**

VIVEK CHAUDHARY Advocate
Reg. No. -UP-07957/23
Chamber No. L-19 & L-24,
Tehsil Compound, Ghaziabad.
M. : 8130346011

गवाह– दीपांशू चौधरी पुत्र श्री विनोद चौधरी

निवासी ग्राम सादिकपुर उर्फ काजीपुरा, परगना डासना

तहसील व जिला गाजियाबाद।

आधार नं0 **XXXX XXXX 3467**

VIVEK CHAUDHARY Advocate
Reg. No. -UP-07957/23
Chamber No. L-19 & L-24,
Tehsil Compound, Ghaziabad.
M. : 8130346011

मसौदा दिनांक 08/05/2025 विवेक चौधरी एडवोकेट, लायर्स चैम्बर नम्बर **L-19** तहसील कम्पाउण्ड गाजियाबाद।

VIVEK CHAUDHARY Advocate
Reg. No. -UP-07957/23
Chamber No. L-19 & L-24,
Tehsil Compound, Ghaziabad.
M. : 8130346011